



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1945 (श0)

(सं0 पटना 21) पटना, शुक्रवार, 5 जनवरी 2024

सं० 3ए-2-वे०पु०-05/2023-169/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

5 जनवरी 2024

विषय:— बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-17975, दिनांक-22.09.2023 के द्वारा "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के द्वारा बिहार परिचारी संवर्ग के अन्तर्गत मूलकोटि सहित चार स्तरीय पदसोपान विहित किया गया है, जो निम्नवत् है:—

क्र० सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान (प्रतिशत)
1	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-IV)	मूलकोटि (50%)
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-III)	प्रथम प्रोन्नति स्तर (30%)
3	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (15%)
4	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर (5%)

2. दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से उक्त संवर्ग के मूलकोटीय पद के लिए वेतनस्तर-1 स्वीकृत है। पूर्व से उक्त संवर्ग के प्रोन्नति सोपान विहित नहीं रहने के कारण प्रोन्नति सोपानों का पुनरीक्षित वेतनस्तर स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

3. "बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" अधिसूचित हो जाने के फलस्वरूप उक्त संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक विचारोपरान्त बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निम्नरूपेण पुनरीक्षित वेतनसंरचना की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि/पदसोपान	वेतनस्तर
1	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-III)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	Level-2
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	Level-3
3	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि-I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	Level-4

5. उक्त वेतनसंरचना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 21-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>